रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937
No. 229] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/ MAGHA 8 , 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी,2016

का.आ. 258(अ).—केंद्रीय सरकार चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के प्रयोजन के लिए भारत में किसी भी चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित समस्त चीनी पर एक सौ चौबीस रुपए प्रति क्विंटल की दर से उत्पाद शुल्क उपकर के रूप में उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

2. उपर्युक्त दर 1 फरवरी, 2016 से प्रवृत्त होगी और ऐसी तारीख को अथवा इसके पश्चात प्रेषित अथवा सुपुर्द चीनी पर लागू होगी।

[फा. सं. 1-37/2003-एसडीएफ]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

S.O. 258(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Sugar Cess Act, 1982, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected as a cess for the purpose of Sugar Development Fund Act, 1982, a duty of excise on all sugar produced by any sugar factory in India at a rate of one hundred twenty four rupees per quintal of sugar.

2. The above rate shall come into force with effect from 1st February, 2016 and will apply on sugar dispatched or delivered on or after such date.

[F. No. 1-37/2003-SDF]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

का.आ. 259(अ).—केंद्रीय सरकार चीनी उपकर) संशोधन (अधिनियम, 2015 (2016 का 9) की धारा 1की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 फरवरी, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1-37/2003-एसडीएफ]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2016

S.O. 259(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Sugar Cess (Amendment) Act, 2015 (9 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2016 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 1-37/2003-SDF]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.